

कब्जेकाशत में दखलदांजी, अड़चन नहीं करें एवं बेदखल नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से निरुद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद सरहद मौजा- कोटड़िया, पटवार हल्का -कुड़की, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र- रास, तहसील- जैतारण में स्थित खसरा नंबर 425/19 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारांनी दोयम, खसरा नंबर 423/20 रकबा 5.6656 हैक्टेयर किस्म बारांनी दोयम की आराजी में प्रार्थीगण अपने हिस्से में काशत करें या करावे या कृषि संबंधी कार्य करे तो उसमें अप्रार्थीगण स्वयं अथवा अपने नौकर चाकर हाली एजेण्ट आदि दखलदांजी, अड़चन नहीं करें एवं बेदखल नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय दिनांक 01/04/2025 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

सहायक (निष्कर्षण NAB) पदेन
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड-अधिकारी, जैतारण
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)
(जिला-ब्यावर)

सहायक (निष्कर्षण NAB) पदेन
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड-अधिकारी, जैतारण
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)
(जिला-ब्यावर)